

15.04.18

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. श्री हाजिर। वकील डा. श्री मिश्री
ने एक पत्रावली में नैराजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली
रही। काडीगण ने जाहिर किया की हमारे कारण नैराजीनामा
होगा। हम इस प्रकरण में जजो कोर्ट कार्रवाही नहीं
चाहते हैं। पत्रावली फॉलत नुमार हीकर फफतर दखील है।

सदरवाट (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
सदरवाट (अजमेर)

अपुत्री

कानूनी

डा. श्री
मि. श्री